

## 'स्पटि जहाद' के लिये उत्तराखण्ड सरकार के दशानरिदेश

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखण्ड सरकार ने त्योहारी सीज़न के दौरान [खाद्य सुरक्षा](#) को लेकर बढ़ती चिंताओं को दूर करते हुए थूकने (Spit) से होने वाली [खाद्य संदूषण की घटनाओं](#) पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नए दशान-नरिदेश जारी किये हैं।

### मुख्य बदि

- **सख्त जुर्माने का प्रावधान:** थूकने (Spit) या इसी तरह के अन्य अपराध करके भोजन को दूषित करने वाले अपराधियों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
  - ये दशानरिदेश हाल ही में वायरल हुई घटनाओं के बाद जारी किये गए हैं, जनिमें **मसूरी और देहरादून** के वीडियो भी शामिल हैं, जहाँ लोग खाद्य पदार्थों में थूकते (Spit) हुए पकड़े गए थे, जसिसे लोगों में आक्रोश फैल गया था।
- **पुलसि सत्यापन और CCTV:** होटलों और भोजनालयों को अब अपने कर्मचारियों का पुलसि सत्यापन कराना अनवार्य कर दिया गया है, तथा रसोईघरों में **CCTV कैमरे लगाना भी अनवार्य** कर दिया गया है।
  - अधिकारी खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के बारे में जनता और व्यवसायों को शक्ति करने के लिये जागरूकता अभियान चलाएंगे।
- **स्वास्थ्य वभिाग की भागीदारी:** स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा वभिाग सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये भोजनालयों में आकस्मिक निरीक्षण और जाँच में पुलसि की सहायता करेंगे।
- **वधिकि कार्यवाही:** अपराधियों पर वभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत आरोप लगाए जा सकते हैं, जनिमें **भारतीय न्याय संहति (BNS)** और **उत्तराखण्ड पुलसि अधनियम, 2007** के तहत सार्वजनिक उपद्रव एवं खाद्य मलावट से संबंधित धाराएँ शामिल हैं।
- **धार्मिक संवेदनशीलता के प्रति शून्य सहनशीलता:** यदिकृत्य धर्म या सामुदायिक सद्भाव को प्रभावित करता है, तो **BNS धारा 196 (शत्रुता को बढ़ावा देना)** के तहत अतरिकित आरोप लगाए जा सकते हैं।